

**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**  
**केओसुब में प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती-2019 सीधे अभ्यर्थियों के लिए और विभागीय**  
**अभ्यर्थियों के लिए प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय (एलडीसीई) – 2019**

**ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति : 21.01.2019 से 20.02.2019**

**अंतिम तारीख : 20.02.2019 (सायं 5 बजे तक )**

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में लेवल-4, पे मेट्रिक्स 25,500 से 81,100/- में (पूर्व संशोधित वेतनमान में, ग्रेड वेतन 2400 रु के साथ 5200-20200 रु वेतन.) तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य तथा अनुमत्य भत्तों सहित, प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए **भारतीय पुरुष और महिला नागरिकों** से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वे केओसुब अधिनियम और नियम के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के नए भर्ती कर्मचारियों के लिए लागू 01.01.2004 से प्रभावी 'नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

02. प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय)-2019 की श्रेणीवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:-

पद का नाम	श्रेणी				
	अनारक्षित	अपिव	अजा	अजजा	कुल
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
पुरुष (सीधी भर्ती)	167	88	49	24	328
महिला (सीधी भर्ती)	21	09	05	02	37
एलडीसीई (विभागीय)	34	17	09	04	64
	222	114	63	30	429

प्रयोग किए गए शब्द संक्षेप इस प्रकार हैं : सामान्य – अनारक्षित, अ.पि.व. – अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति, एलडीसीई – सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा।

**टिप्पणी :-**

- (i) उपरोक्त दी गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी समय/स्तर पर बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों में संशोधन यदि कोई हो, तो वह लिखित परीक्षा के समय अथवा बाद में कौशल परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण के चरण में अथवा अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले अधिसूचित किया जा सकता है।
- (ii) भर्ती का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा।

- (iii) 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ पात्र अथवा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह जाती है तो उन्हें अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।
- (iv) एलडीसीई अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी यदि इस श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं।
- (v) 10 प्रतिशत रिक्तियां महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। यदि ये रिक्तियाँ रिक्त रह जाती है तो इन्हें पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध होगा।
- (vii) ऑनलाइन आवेदन भरते समय, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन-पत्र में सही फोटो युक्त पहचान-पत्र संख्या (अर्थात् आधार नंबर, ड्राइविंग लाईसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड नंबर) भरना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे प्रत्येक परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डाटा भर्ती के प्रथम चरण के दौरान तैयार किया जाएगा और इसे अभ्यर्थियों की पहचान की जांच करने के लिए भर्ती के दौरान प्रयोग किया जाएगा।
- (viii) अभ्यर्थियों को उपयुक्त जांच/परीक्षण के लिए पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपने सभी मूल शैक्षिक/जाति और अन्य प्रमाण-पत्रों को साथ लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में किसी अपेक्षित दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने के कारण उसकी निरस्ती के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ix) पद अस्थायी हैं परंतु भविष्य में इन्हें स्थायी किया जा सकता है।
- (x) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी को भारतीय परिक्षेत्र में कहीं भी तथा विदेश में तैनात किया जा सकता है।
- (xi) यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना भरता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/प्रसिद्ध व्यक्ति की फोटो लगाता है अथवा किसी पदार्थ की अथवा ब्लैक फोटो लगाता है तो उसके विरुद्ध साईबर अपराध आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- (xii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, जिनका जाति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में है, को निर्धारित प्रमाण-पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थान/गांव/कस्बा जहां से वह संबंध रखता है, को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है।
- (ख) प्रमाण-पत्र को उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(ग) जाति प्रमाण-पत्र में भारत सरकार के प्राधिकारी/संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया हो जिससे आरक्षित श्रेणी के अधीन अभ्यर्थी के दावे को सही ठहराया गया हो।

(घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित की गई जाति वास्तव में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं और केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में उपलब्ध है।

(xiii) एक अभ्यर्थी जिसने अपनी जाति अजा/अजजा/अपिव आवेदन पत्र में दर्शायी है और पीएसटी के समय अपने जाति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी को झूठी सूचना देने के कारण सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा।

03. भर्ती प्रक्रिया में कदवार परीक्षा (एचबीटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण (टाइपराइटिंग) और चिकित्सा परीक्षण सम्मिलित होंगी। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार होंगी :-

- (i) अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट <http://cisfrectt.in> पर केवल **ऑनलाईन** तरीके के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक इंतजार नहीं करना चाहिए जिससे वे आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने के फलस्वरूप वेबसाइट के कॅश होने और तकनीकी त्रुटियों के कारण आवेदन पत्र भरने से वंचित न रह जाएं।
- (iii) सामान्य और अपिव के अभ्यर्थियों से 100 रु. का आवेदन शुल्क वसूला जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क देने से छूट प्राप्त है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी पीएसटी चरण में ही निरस्त कर दी जाएगी।
- (iv) भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र/प्रवेश-पत्र को प्रत्येक चरण अर्थात् पीएसटी, दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा (टाइपराइटिंग) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण हेतु वेबसाइट अर्थात् <http://cisfrectt.in> पर अपलोड किया जाएगा।
- (v) चिकित्सा परीक्षा से पहले भर्ती के तीन चरण निम्नानुसार होंगे :-
  - (क) पीएसटी, दस्तावेजीकरण।
  - (ख) ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
  - (ग) कौशल परीक्षा (टाइपराइटिंग परीक्षा)

टिप्पणी :- उपरोक्त तीन चरणों का क्रम सीआईएसएफ के निर्णय के आधार पर प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण आपस में बदल सकता है। यदि लिखित परीक्षा को दूसरे चरण में आयोजित किया जाता है तो तीसरे चरण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में वरीयता के आधार पर निर्भर करेगी जिसमें अर्हक अंक सामान्य और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/अपिव के लिए 33 प्रतिशत होगी। तथापि, तीसरे चरण अर्थात् दक्षता परीक्षा (टाईपराइटिंग) के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा। प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में तृतीय चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों के संदर्भ में लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या पर निर्भर होगी। तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किया जाएगा।

- (vi) दक्षता परीक्षा के पूरा होने के पश्चात् एक सामान्य वरीयता सूची तैयार की जाएगी। उस सामान्य सूची से वरीयता स्थिति के आधार पर प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम रूप से किया जाएगा।
- (vii) अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची सीआईएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- (viii) वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रत्येक पद और श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार अनंतिम चयन सूची में स्थान मिलेगा, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)के लिए बुलाया जाएगा।
- (ix) अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण उनकी शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय यू.ओ. सं. एयू-1/2014-भर्ती (एसएसबी), दिनांक 20 मई, 2015 द्वारा जारी सीएपीएफ और एआर में भर्ती चिकित्सा परीक्षण के लिए संशोधित समान दिशा-निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा।
- (x) अनंतिम चयन विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण में फिट पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

4.	I)	पदों के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड
		प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) के लिए
क)	शैक्षिक योग्यताएं	एक मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र (10+2)।
ख)	आयु (सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए)	दिनांक 20.02.2019 को 18 से 25 वर्ष के बीच (भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित)
	आयु सीमा में छूट के लिए पात्र श्रेणियां	छूट
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक
(iii)	सेवारत के औसुब कार्मिकों सहित तीन वर्षों की सतत सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थी (केन्द्र सरकार) जो एलडीसीई रिक्तियों के अधीन पात्र नहीं हैं।	अजा/अजजा के लिए 45 वर्ष तक सामान्य/अपिव के लिए 40 वर्ष तक
(iv)	जम्मू व कश्मीर के अभ्यर्थी जो सामान्यतः 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी रहे हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत छूट का दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू-कश्मीर के निवासी रह चुके हैं अथवा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक। अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक। अपिव अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 08 वर्ष तक।

(v)	<p>1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चें।</p> <p><b>बच्चों से तात्पर्य</b> (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)। <b>परिवार के आश्रित सदस्य से तात्पर्य</b> (क) पति अथवा पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) अविवाहित पीड़ित के मामले में दंगों के समय उसके मारे जाने पर उसके भाई अथवा बहन जो पीड़ित पर उस समय पूर्णतः आश्रित थे वह उसके पात्र होंगे।</p> <p>इस श्रेणी में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने का पात्र होने के लिए आवेदक को संबंधित जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पीड़ित व्यक्ति मारा गया था से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>	<p>सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक अपिव अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 08 वर्ष तक</p>		
(vi)	भूतपूर्व सैनिक	<p><b>गणना करने की तिथि को वास्तविक आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा से घटाने के पश्चात 03 वर्ष</b></p> <p>आयु में छूट समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दी जाएगी और अभ्यर्थी को दिनांक 20.02.2019 को वास्तविक सैन्य सेवा की अवधि को अपनी वास्तविक आयु से घटाना अनुमत किया जाएगा और यदि परिणामी आयु उस पद के लिए जिसके लिए वह नियुक्ति चाहता है, निर्धारित अधिकतम आयुसीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं है, तो उसकी आयु सीमा से संबंधित शर्तों को पूरा माना जाएगा।</p>		
(vii)	केवल केओसुब के कार्मिकों के लिए जो सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं :- वह संबंधित ग्रेड में दिनांक 20.02.2019 तक पांच वर्षों की सतत सेवा के साथ आरक्षक (जीडी), प्रधान आरक्षक (जीडी) और आरक्षक (ट्रेड्समैन) और पैरा 4(क और ग) के तहत सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित योग्यता धारण करता हो।	<b>35 वर्ष तक</b>		
ग)	<b>अन्य आवश्यक योग्यताएं</b>	<p><b>कंप्यूटर पर दक्षता जांच मानदंड –</b> कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी टाईपिंग अथवा कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ हिन्दी टाईपिंग (अनुमत समय : 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में 10500 केडीपीएच अंग्रेजी के समकक्ष/9000 केडीपीएच हिन्दी में के समकक्ष कम्प्यूटर पर शब्द के लिए 5 'की' डिपरेशन्स के साथ)</p>		
<b>घ) शारीरिक दक्षता</b>				
श्रेणी	पुरुष		महिला	
	कद का माप	छाती का माप	कद का माप	छाती का माप
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए	165 सेमी	बिना फुलाए 77 सेमी फुलाव के साथ 82 सेमी	155 सेमी	लागू नहीं
अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सेमी	बिना फुलाए 76 सेमी फुलाव के साथ 81 सेमी	150 सेमी	लागू नहीं
<b>छूट :-</b> गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आनेवाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए छूट।	162.5 सेमी	बिना फुलाए 77 सेमी फुलाव के साथ 82 सेमी	150 सेमी	लागू नहीं

**नोट:-** भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शारीरिक माप से पूर्ण छूट प्राप्त है।

ड)	चिकित्सा मानक	
I	वह व्यक्ति जो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति चाहता है उसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ.एस. संख्या ए.-vi-1/2014 (भर्ती) (एसएसबी) दिनांक 20 मई, 2015 के द्वारा जारी सीएपीएफ और एआर में भर्ती के लिए संशोधित चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। उसे उनमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।	
	i)	<b>वजन</b> चिकित्सा मानकों के अनुसार (पुरुषों एवं महिलाओं के लिए) कद और आयु के अनुरूप। शारीरिक मापन के समय वजन को दर्ज किया जाएगा परंतु वजन के कारण फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय किया जाएगा।
	ii)	<b>नेत्र दृष्टि</b>
	1.	<b>बिना सहायता दृष्टि तीव्रता (निकट दृष्टि)</b> बेहतर आंख - एन 6 खराब आंख - एन 9
	2.	<b>सुधार के बिना दृष्टि तीव्रता (दूर दृष्टि)</b> बेहतर आंख - 6/6 खराब आंख - 6/9
	3.	<b>अपवर्तन</b> चश्मे के साथ किसी भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है।
	4.	<b>रंग दृष्टि</b> : सीपी III द्वारा आईएसआईएचएआरए <b>टिप्पणी</b> : दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है।
	iii)	आवेदक के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन और आंखों में भेंगापन न हों। वह अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए।
	iv)	<b>टैटू</b> : यह पाया गया है कि चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के शरीर के विभिन्न भागों पर 'टैटू' पाए गए हैं। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने दिनांक 12.01.2017 अपने पत्र संख्या I-45020/7/2012/कार्मिक-II के तहत प्रधान आरक्षक /अनुसचिवीय परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टैटू के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:- (क)विषय वस्तु - एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियों को दर्शाने वाले टैटू और नाम आदि जिनका भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है, वे यहां भी अनुमत हैं। (ख)अवस्थिति :-अग्र भुजा के अंदरूनी हिस्से जैसे शरीर के पारम्परिक हिस्सों पर खुदे हुए टैटू परंतु केवल बायीं अग्रभुजा जिसका प्रयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है अथवा हाथ के पिछले हिस्से को अनुमत किया गया है। (ग)आकार :- टैटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए।
<b>II. एलडीसीई अभ्यर्थियों के लिए</b>		
कैओसुब के आरक्षक (जीडी), प्रधान आरक्षक (जीडी) और आरक्षक (ट्रेड्समैन)जो कैओसुब में कार्यरत हैं तथा दिनांक 20.02.2019 को संबंधित ग्रेड में लगातार पाँच वर्षों से सेवा में हैं, वे प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय पद के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उनके पास उपरोक्त पैरा 4 (1) के अनुसार सीधे अभ्यर्थियों के बराबर योग्यता मापदंड होने चाहिए।		
<b>III. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए योग्यता मापदंड</b>		
	क)	भूतपूर्व सैनिक जो सेना में हवलदार, लांसनायक अथवा सिपाही अथवा वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य पद पर हैं, वे प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना/वायुसेना/नौसेना में सूबेदार/नायव सूबेदार अथवा समतुल्य रैंक पर हैं, वे भी निम्नतर पदों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और लिखित में यह इच्छा भी प्रस्तुत करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे उस समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे जो पद वे रक्षा बलों में धारण किए हुए थे।
<b>एक 'भूतपूर्व सैनिक' का मतलब है; वह व्यक्ति:-</b>		
	i)	'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी के किसी भी रैंक में सेवा की हो और

			क)	जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर स्वयं के अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति अथवा कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, अथवा
			ख)	जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, अथवा
			ग)	जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हो।
				अथवा
			(ii)	जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।
				अथवा
			(iii)	“सेना डाक सेवा” के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उनके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी न हो।
				अथवा
			(iv)	ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए “सेना डाक सेवा” में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।
				अथवा
			(v)	क्षेत्रीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।
				अथवा
			(vi)	चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त।
		ख)	आयु	उन्हें अपनी वास्तविक आयु से थल सेना सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयुसीमा में आगे 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी।  आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की समाप्ति की तिथि अर्थात् 20.02.2019 होगी।
		ग)	सेवा में व्यवधान	पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् 20.02.2019 की स्थिति के अनुसार थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सेवा मुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
		घ)	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र भारतीय सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना के समतुल्य।
		ड.)	टिप्पणी-1	:भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद, केन्द्र सरकार के तहत नियमित आधार पर सिविल में समूह 'ग' और 'घ' में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, को शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे उम्र में छूट के हकदार होंगे।
			टिप्पणी-2	:सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए 'कॉल अप सेवा' की अवधि को, उम्र में छूट के प्रयोजन से, सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
			टिप्पणी-3	:संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी कार्मिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, उसे पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपयुक्त समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो और/अथवा वह अपनी अर्जित हकदारी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सके कि वह सशस्त्र बलों के साथ काम करने की निश्चित शर्तों को आवेदन पत्र की समाप्ति की तिथि अर्थात् 20.02.2019 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा कर लेगा।
			टिप्पणी-4	:भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छूट लागू नहीं है।

		<b>टिप्पणी-5</b> :भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशों में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों को पुनः तैनाती के लिए नियम और शर्तें भी लागू होंगी।
		<b>टिप्पणी-6</b> : भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। उन्हें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उनमें उत्तीर्ण भी होना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को गृह मंत्रालय के यू.ओ.सं. ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20 मई, 2015 के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में पास होना होगा।
		<b>स्पष्टीकरण (1)</b> :संघ के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी छूटों का लाभ ले सकते हैं परंतु वे संघ के सशस्त्र बलों की सेवा की विशिष्ट शर्तों को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमान अधिकारी से 'परिशिष्ट-च' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

#### 5. अपात्रता : ऐसा कोई व्यक्ति;

क) जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है।

अथवा

ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है उसने किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है, वह बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

#### 6. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रपत्र:

क) वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत/अपलोड करना चाहिए। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिब/भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और दावेदारी संबंधी उनके आवेदन पत्रों पर सामान्य श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता को पूरा करते हों। प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों को संलग्न किया गया है। **किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** एक अभ्यर्थी जो अपिब में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहता है उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है और वह उस निर्णायक तिथि को कीमीलेयर में नहीं आता है। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 20.02.2019 होगी। अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी अंतिम होगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन नहीं कर दिया जाता।

ख) चूंकि आसाम राज्य, रिहायशी प्रमाण-पत्र/स्थायी आवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहा है, आसाम राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला पदाधिकारियों से रिहायशी स्थिति के प्रमाणन के अधीन होगा।

ग) पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो जम्मू और कश्मीर में बसे हुए हैं परंतु जिन्हें राज्य के नागरिक का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य के नामित पदाधिकारी से एक रिहायशी प्रमाण-पत्र होने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परिशिष्ट -'छ' के अनुसार डब्ल्यूपीआर के नायब तहसीलदार/सरपंच/नंबरदार के द्वारा जारी एक उद्गम/पहचान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

**टिप्पणी-** अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वे अजा/अजजा/अपिब/ईएसएम/एलडीसीई स्तर के लिए झूठा दावा करते हैं।



## 07. आवेदन कैसे करें :

आवेदन पत्र को नीचे उल्लिखित प्रत्येक राज्यों के सामने दर्शाए गए संबंधित केओसुब क्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों (क्षेत्रीय भर्ती केन्द्रों) पर **केवल ऑनलाईन तरीके** के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुलग्नक-1 में दी गई है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह नोट कर ले कि ऑनलाईन आवेदन केवल केओसुब की वेबसाइट <http://cisfrectt.in> पर स्वीकारा जाएगा। कोई भी आवेदन ऑफलाईन नहीं स्वीकारा जाएगा।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम जहां अभ्यर्थी रहता है।	अधिकारी का नाम जिसे आवेदन भेजा जाना है
(1)	(2)	(3)
1	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, और राजस्थान	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय नई दिल्ली।
2	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (एनसीआर क्षेत्र) मुख्यालय नई दिल्ली।
3.	दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय मुंबई।
4.	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (केन्द्रीय क्षेत्र) मुख्यालय भिलाई।
5	बिहार और झारखण्ड	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पूर्वी क्षेत्र) मुख्यालय पटना।
6.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडू एवं तेलंगाना	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय चेन्नई।
7	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडीसा एवं पश्चिम बंगाल	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) मुख्यालय कोलकाता।
8.	अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, एवं त्रिपुरा	उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय गुवाहाटी।

### टिप्पणी :

i)	ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि : 20.02.2019 (सायं 05:00 बजे तक)।
ii)	ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लिंक पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार अपलोड करने के लिए अपनी हाल की पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर तथा अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई फोटो (डिजिटल) होनी चाहिए।
iii)	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए और बाद में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसे अपने पास रखना चाहिए।
iv)	अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट अथवा अन्य किसी दस्तावेज को संबंधित आरआरसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें <b>पीएसटी/दस्तावेजीकरण</b> के समय ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट को स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत करना होगा।
v)	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले सही विवरणों को भरने में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए।
vi)	अभ्यर्थियों का अपना व्यक्तिगत ई-मेल आई डी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर तथा ई मेल आईडी को संभाल कर रखें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से दी जा सकती है।
vii)	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट की संभावित विच्छेदता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।

(अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखनेवाले इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए)

### उद्घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गाँव/नगर/शहर ..... जिला .....  
 .....राज्य .....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं .....समुदाय से संबंधित हूँ जो भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 36012/22/93 स्था0 (एससीटी) दिनांक 8/09/93 के अनुसार जिसकी पहचान एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08/09/1993 के तहत कॉलम 3 में दर्शाये गए व्यक्तियों/वर्गों, (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

08.	<b>भुगतान का तरीका :</b>
सामान्य और अपिव श्रेणी से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100/-रु. (एक सौ रूपए केवल) निम्नलिखित तरीके से जमा करवाने होंगे।	
	i) एसबीआई चालान के माध्यम से (चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क की अदायगी को केवल 20.02.2019 तक स्वीकार किया जाएगा और इसके बाद सेवाएं बन्द कर दी जाएगी)
	ii) किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से।
	iii) किसी भी बैंक का क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
	<b>टिप्पणी : I</b> आरक्षण के लिए पात्र अजा/अजजा, महिला और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंध रखनेवाले अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।
	<b>टिप्पणी : II</b> एक बार भुगतान किए गए शुल्क की वापसी किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी।
	<b>टिप्पणी : III</b> उपरोक्त में दर्शाए गए तरीकों के अलावा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	<b>टिप्पणी : IV</b> ऑनलाईन आवेदन खोलने की तिथि अर्थात् 21.01.2019 से पहले देय शुल्क को भी स्वीकारा नहीं जाएगा।
09.	<b>भर्ती के लिए प्रवेश :</b>
	(i) वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया में अंतिम तिथि पर आवेदन करते हैं और जो अनंतिम रूप से पात्र हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे जिसके बारे में उन्हें भर्ती के प्रथम स्तर के समय ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
	(ii) पीएसटी, दस्तावेजीकरण, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और उन्हें <a href="https://cisfrectt.in">https://cisfrectt.in</a> से डाउनलोड किया जा सकता है।
	(iii) अभ्यर्थियों को कैंडिडेट से पत्राचार करते समय अपने अनुक्रमांक, नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। अपेक्षित विवरणों को प्रस्तुत किए बगैर अभ्यर्थियों द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
	(iv) वेबसाइट से पीएसटी/दस्तावेजीकरण/लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच, के बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असफल होने पर, अभ्यर्थियों को भर्ती की शुरुआत से कम से कम एक सप्ताह पहले अपने संबंधित राज्य के कैंडिडेट क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र (आरआरसी) से संपर्क करना चाहिए।
	<b>टिप्पणी :</b> अभ्यर्थियों को अपनी पहचान का कम से कम एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड को मूल रूप में पीएसटी, दस्तावेजीकरण, परीक्षा केन्द्रों, लिखित परीक्षा केन्द्रों पर और चिकित्सा जांच/पुनरीक्षा चिकित्सा जांच स्थल (जैसा कि ऑनलाईन आवेदन में उसने उल्लिखित/प्रयोग किया गया है) पर लाना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन्हें किसी भी परिस्थिति पर परीक्षा/भर्ती में बैठने नहीं दिया जाएगा।
10.	<b>भर्ती/चयन प्रक्रिया</b>
	चिकित्सा जांच से पहले भर्ती तीन स्तरों में निम्नानुसार होगी :-
1.	पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण।
2.	ओएमआर अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी एवं हिन्दी में होगी।

3.	कौशल परीक्षण (टाइपराइटिंग टेस्ट)
<b>टिप्पणी:</b> प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण उपरोक्त दो चरणों का क्रम केऔसुब के विवेक के आधार पर बदल सकता है।	
4.	चिकित्सीय परीक्षा और पुनरीक्षा चिकित्सीय परीक्षा।
5.	लिखित परीक्षा में मैरिट और विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण/पुनरीक्षा चिकित्सीय परीक्षण के परिणाम के आधार पर अंतिम चयन सूची की तैयारी।
<b>11.</b>	<b>चयन का तरीका :</b> भर्ती के लिए आवेदन कर रहे सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर की भर्ती अर्थात् पीएसटी/दस्तावेजीकरण के लिए बुलावा-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के सत्यापन के पश्चात जारी किया जाएगा। उनके दस्तावेजों की विस्तृत जांच पीएसटी के पश्चात की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी इस चरण में दस्तावेजों से रहित पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे रद्दीकरण पर्ची जारी की जाएगी। इसलिए यह अभ्यर्थियों की जिम्मेवारी होगी कि वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपने आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने से पहले इस सूचना में यथानिर्धारित पात्रता की जांच कर लें।
<b>I.</b>	<b>कद-बार परीक्षा (एचबीटी)</b> कद-बार परीक्षा में पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को पीएसटी परीक्षा से गुजरना होगा।
<b>II.</b>	<b>शारीरिक मानक परीक्षण</b>
(i)	वे अभ्यर्थी जो कदबार परीक्षण में पास हो जाते हैं, उनका अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, छाती और वजन का माप किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो निर्धारित किए गए शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकृति स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तथापि, उन्हें वजन के आधार पर केवल चिकित्सा जांच के समय ही बाहर किया जाएगा। प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) पद के लिए शारीरिक मानकों को उपरोक्त 4 (i) (घ) में विस्तार से दिया गया है और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार छूट उपलब्ध है।
(ii)	भर्ती की प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मापन से संतुष्ट नहीं है तो वह शारीरिक माप में अस्वीकृत किए जाने के विरुद्ध निरीक्षणकर्त्ता उपमहानिरीक्षक (अर्थात् अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष उसी दिन एक अपील दायर कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों का उसी दिन पुनः माप किया जाएगा अथवा भर्ती बोर्ड के निरीक्षणकर्त्ता उपमहानिरीक्षक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः माप के लिए एक नई तिथि दी जाएगी। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित मानक में पाया जाता है तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अनुमत किया जाएगा।
	<b>टिप्पणी :-</b> 1.उपरोक्त यथाउल्लिखित कद और छाती (जैसा भी मामला हो) में यथाउल्लिखित छूट तभी दी जाएगी जब अभ्यर्थी उस जिले, जहां वह सामान्य रूप से रह रहा है, के सक्षम प्राधिकारी से <b>परिशिष्ट-‘ग’</b> में यथा निर्धारित प्रपत्र में पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
<b>III.</b>	<b>दस्तावेजीकरण</b> पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा रद्दीकरण पर्ची में इसका कारण बताते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और <b>किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।</b>
(i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र।
(ii)	जन्म प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)।
(iii)	अजा/अजजा और अपिव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह कमशः परिशिष्ट-‘क’ और ‘ख’ में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए अनुसार निर्धारित तरीके से नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(iv)	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव) में आवेदन करते हैं परंतु दस्तावेजों की जांच के समय जाति प्रमाण पत्रों को किसी भी प्रारूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।
(v)	गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें <b>परिशिष्ट -‘ग’</b> के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(vi)	केओसुब सहित विभागीय अभ्यर्थी (ओपन एवं एलडीसीई दोनों) अपने नियोक्ता से परिशिष्ट –‘घ’ के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
(vii)	भूतपूर्व सैनिकों के मामले में परिशिष्ट –‘ड’ के अनुसार कार्यभार-मुक्ति तथा वचनबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र।
(viii)	भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत आवेदन करने वाले सेवारत अधिकारियों को परिशिष्ट –‘च’ में दिए गए प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
(ix)	जम्मू और कश्मीर राज्य में डब्ल्यू पी आर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) के बच्चों को परिशिष्ट –‘छ’ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार नायब तहसीलदार/सरपंच/नंबरदार द्वारा जारी उद्गम (नेटिवीटटी) प्रमाण पत्र जिसमें चुनावों की मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न हो।
(x)	1984 के दंगों अथवा गुजरात के 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों एवं आश्रितों के मामले में जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।
(xi)	जम्मू एवं कश्मीर में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक साधारणतया रह रहे लोगों द्वारा आयु में छूट के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र।
(xii)	अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल रूप में (ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित/प्रयोग किए गए) ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड जैसे कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण लाने चाहिए।
(xiii)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो।
(xiv)	मूल प्रमाण पत्रों के अलावा अभ्यर्थी शैक्षिक और जाति आदि के प्रमाण-पत्रों आदि की स्वतः प्रमाणित की हुई फोटो प्रतियां भी साथ लाएंगे।
(xv)	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान कार्डों से बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों की पहचान की जांच पीएसटी, दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के समय की जाएगी। सत्यापन के लिए भर्ती के प्रथम चरण में बायोमैट्रिक डाटा भी तैयार किया जाएगा जिसे भर्ती के अगले चरणों में प्रयोग किया जाएगा।
VI.	<b>लिखित परीक्षा</b>
(i)	लिखित परीक्षा ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित होगी।
(ii)	लिखित परीक्षा 100 बहुविकल्पी प्रश्नों से 100 अंकों की होगी जिसके उत्तर 2 घंटे में देने होंगे। प्रश्न पत्र सामान्य सचेतता/सामान्य जानकारी, अंक गणित का ज्ञान, तथा सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी में प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में द्विभाषी बनाया जाएगा।
(iii)	अगले चरण में पास होने के लिए अंको की न्यूनतम प्रतिशतता निम्नानुसार होगी:- सामान्य/इएसएम : 35% अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व : 33%
	<b>टिप्पणी :</b> सामान्य और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंकों से तात्पर्य यह नहीं है कि जिस भी अभ्यर्थी ने 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिया हो, चाहे जैसा मामला हो, उसे अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण के अभ्यर्थियों को केवल लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अंकों के आधार पर ही बुलाया जाएगा और कट ऑफ अंकों (श्रेणीवार) का निर्धारण लिखित परीक्षा के संपन्न होने के पश्चात किया जाएगा।
(iv)	लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु अभ्यावेदन अथवा लिखित परीक्षा को दोबारा कराना स्वीकार्य नहीं होगा।
(v)	प्रश्नों के उत्तर काले/नीले बॉलपेन से लिखने होंगे। इसलिए अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए काला/नीला बॉलपेन लेकर आएँ।
(vi)	अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 76 से 100 (भाग-iv) के उत्तर केवल एक भाषा अर्थात् अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने होंगे। इसलिए भाग iv में चुनी गई भाषा को ओएमआर उत्तरशीट में सही तरीके से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस भाग के लिए चुनी गई भाषा को उपयुक्त कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए अन्यथा इस भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(vii)	अभ्यर्थियों को मोबाईल फोन, केलकुलेटर अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक/इलैक्ट्रिक उपकरणों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी इन उपकरणों को परीक्षा परिसर के अंदर लेकर न आए। इन वस्तुओं के मिलने पर, चाहे परीक्षा में प्रयोग की हो या नहीं, 'अनुचित साधनों के प्रयोग' में माना जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
<b>VII.</b>	<b>कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड –</b> कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग अथवा कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ हिन्दी टाइपिंग (अनुमत समय : 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में 10500 केडीपीएच के समकक्ष अंग्रेजी में/9000 केडीपीएच हिन्दी में प्रत्येक कंप्यूटर पर शब्द के लिए 5 'की' डिपरेन्स के साथ)
<b>VII.</b>	<b>चिकित्सीय परीक्षण और दस्तावेजों की जांच :-</b>
(i)	केवल ऐसे अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने दोनों चरण उत्तीर्ण कर लिए हों। तथापि, चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या लिखित परीक्षा में उनकी मेरिट स्थिति और प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी में कट-ऑफ अंकों पर निर्भर करेगी। तथापि चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयन का अधिकार मिल गया है। इस प्रकार इस आधार पर चयन करने के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii)	अभ्यर्थियों को या तो योग्य या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
(iii)	सभी मामलों में एक अभ्यर्थी जिसे कैंडिडेट में नियुक्ति के लिए यदि चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे निरीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके चुने न जाने के संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण के निष्कर्षों से सहमत नहीं है तो वह स्वयं को अयोग्य घोषित किए जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर चिकित्सा जांच पुनरीक्षा के लिए कृपया: 'परिशिष्ट-ज' और 'परिशिष्ट-झ' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपनी फिटनेस के प्रमाण के साथ अपील प्रस्तुत कर सकता है। चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इस पर संबंधित चिकित्सा प्रैक्टिशनर की इस आशय की टिप्पणी न हो कि इसे इस तथ्य की पूर्ण जानकारी में प्रदान किया गया है कि अभ्यर्थी को चिकित्सा अधिकारी द्वारा पहले ही नियुक्ति के अयोग्य पाया गया है। अपील पर भी तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 25 रूपए (पच्चीस रूपए मात्र) की पुनरीक्षा चिकित्सा परीक्षा शुल्क न लगा हो (प्राधिकारी का विवरण जिसे अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए और संबंधित डीडीओ और अदा करने वाली शाखा आदि के बारे में भर्ती बोर्ड के जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा जारी रिजेक्शन स्लिप में उल्लिखित किया जाएगा)।
<b>टिप्पणी:-</b>	
1)	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि पीएसटी और दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी पात्रता की शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
2)	कार्यभार ग्रहण करने के समय सभी चयनित अभ्यर्थियों से एक वचनबद्धता ली जाएगी ताकि यदि उनके सेवाकाल के किसी भी स्तर पर यदि वे वर्णान्ध पाए जाते हैं, तो उनको प्रचलित शेष (एसएचएपीई) नीति के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा और उनकी सेवा पुस्तिका में संलग्न कर दिया जाएगा।
3)	भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी अयोग्य है अथवा उसने तथ्य छुपाए हैं तो, उसकी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।
<b>VIII.</b>	<b>चयन का तरीका/अंतिम मेरिट सूची तैयार करना</b>
(i)	लिखित परीक्षा संपन्न होने के पश्चात, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिब, एलडीसीई, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर श्रेणी-वार मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी।

	(ii) चयन के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार होंगे :- सामान्य और भूतपूर्व सैनिक : 35 % अजा/अजजा/अपिव : 33 %
	(iii) अंकों के टाई होने की स्थिति में, मेरिट सूची को निम्नानुसार क्रम से तैयार किया जाएगा :-
क.	टाई का समाधान अभ्यर्थी की आयु का संदर्भ लेते हुए किया जाएगा अर्थात् आयु में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।
ख.	यदि फिर भी टाई रहती है तो नामों को वर्णानुसार क्रम से अर्थात् एक अभ्यर्थी जिसका नाम, उस वर्ण से शुरू होता है जो वर्णानुसार क्रम में पहले आता है, उसे वरीयता प्रदान की जाएगी।
ग.	यदि फिर भी टाई रहती है तो इसका समाधान कद, शैक्षिक योग्यता की तुलना करते हुए किया जाएगा। ज्यादा कद, उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा।
	(iv) बशर्ते अजा, अजजा और अपिव के अभ्यर्थी जिनका चयन छूट वाले मानकों के बगैर अपनी स्वयं की मेरिट के आधार पर होता है तो उन्हें रिक्तियों के आरक्षित भाग के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। अजा, अजजा और अपिव के ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र मेरिट सूची में उनके स्थान के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों के अधीन समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को अजा, अजजा और अपिव के पात्र अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा जिसमें अजा, अजजा और अपिव होंगे जो अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची के सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी से मेरिट में नीचे हैं परंतु छूट प्राप्त मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं।
	(v) अंतिम परिणाम को वेबसाइट अर्थात् <a href="http://cisfrectt.in">http://cisfrectt.in</a> पर प्रकाशित किया जाएगा।
	<b>टिप्पणी :-</b>
	1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए <b>सभी पात्रता शर्तें</b> पूरी करते हैं। उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि पीएसटी और दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
	2) यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी आधार पर अपात्र पाया जाता है अथवा तथ्यों को छिपाने का प्रयास करते पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।
	3) यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां पात्र अथवा योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की वजह से भरी नहीं जाती हैं तो उसे भूतपूर्व सैनिक नियमावली 2012 (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनः नियुक्ति) में संशोधन की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित श्रेणी के अन्य दूसरे उम्मीदवार से भरा जाएगा।
	4) कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी।
12.	<b>निर्णय</b> पात्रता से संबंधित सभी मामलों, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा (परीक्षाओं) को लेना, परीक्षा केन्द्रों का आबंटन और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच-पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
13.	<b>न्यायालय निर्णयाधिकार</b> इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद न्यायालयों/ट्रिब्यूनल्स, जिसका उस शहर/कस्बे के निर्णयाधिकार है जिसमें केओसुब का भर्ती केन्द्र स्थित है और जहां पर अभ्यर्थी ने अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, के अधीन होगा।
14.	<b>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश</b>
1.	एक मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से माध्यमिक अथवा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (10+2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण (टाइपराइटिंग परीक्षा) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।
2.	केवल पात्र अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आयु, शैक्षिक योग्यता आदि की अपेक्षाओं के लिए उनके द्वारा आवेदित पदों के लिए अपनी पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना में दिए गए सभी प्रावधानों को बारीकी से पढ़ें।
3.	एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी किए गए आयु और शैक्षिक योग्यताओं आदि के प्रमाण के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र (पत्रों) को विधिवत रूप से स्वसत्यापित कर अपलोड करें।

4.	केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अधिसूचना के <b>परिशिष्ट-‘क’, ‘ख’</b> के अनुसार अजा/अजजा और अपिव के प्रमाण पत्र अपलोड करें।
5.	गढ़वाली, कुमाऊंकी, गोरखा, डोगरा और मराठा श्रेणी में आनेवाले अभ्यर्थी अधिसूचना के <b>परिशिष्ट-‘ग’</b> के अनुसार कद और छाती में छूट प्राप्त करने के लिए एसडीएम/तहसीलदार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समतुल्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित वास्तविक प्रति को अपलोड करें।
6.	सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी अधिसूचना के <b>परिशिष्ट-‘ग’</b> के अनुसार कद और छाती में छूट प्राप्त करने के लिए एसडीएम/तहसीलदार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत समतुल्य प्राधिकारी द्वारा जारी रिहायशी प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति को अपलोड करें।
7.	1984 के दंगों और 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में <b>मारे गए</b> लोगों के बच्चों और आश्रितों के मामले में जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित प्रमाण पत्र को अपलोड करें।
12.	आयु में छूट के लिए 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से निवास कर रहे लोगों के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र।
13.	<b>भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज :-</b>
(क)	कार्य भार विमुक्ति प्रमाण-पत्र को अपलोड करें।
(ख)	परिशिष्ट-‘ड’ और ‘च’ के अनुसार वचनबद्धता को अपलोड करें।
14.	पीएसटी प्रक्रिया के दौरान ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वे उसी दिन लिखित में भर्ती केन्द्र के पर्यवेक्षी उप महानिरीक्षक को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और पर्यवेक्षी उप महानिरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात किसी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
15.	केओसुब कार्मिकों सहित सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को उपयुक्त माध्यम से आवेदन करना चाहिए अथवा अपने नियोक्ता से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ संलग्न करना चाहिए। वे <b>परिशिष्ट-‘घ’</b> के अनुसार एक प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
16.	<b>परिशिष्ट-‘छ’</b> के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के डब्ल्यू पी आर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) के ऐसे बच्चों को नायब तहसीलदार/सरपंच/नंबरदार से जारी उद्गम (नेटिविटी) प्रमाण-पत्र को अपलोड करें।
17.	प्रत्याशित अत्यधिक संख्या में आवेदनों को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के लिए आवेदनों तथा अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच पीएसटी से पहले नहीं की जाएगी, और इस प्रकार आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को जान लें और अपने को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए योग्य हैं। <b>जांच किए जाने पर, यदि आवेदन में किसी दावे की पुष्टि नहीं होती है तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।</b>
18.	जो अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव/भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, वे सुनिश्चित कर ले कि वे अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। पीएसटी और दस्तावेजीकरण के दौरान जब प्रमाण-पत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी तब अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र भी उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपिव अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिसूचना में निर्धारित तिथि के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अपिव प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध हैं।
19.	दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।
20.	<b>देय शुल्क :-</b> 100/-रु ( केवल एक सौ रुपये ) एसबीआई चालन के माध्यम से देय अथवा किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान। सरकारी आदेशों के अनुसार, आरक्षण हेतु पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में छूट है।
21.	अंतिम तिथि : 20.02.2019 (सायं 5:00 बजे तक)

22.	मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट परीक्षा स्थल के परिसर के भीतर निषेध है। परीक्षा के दौरान, ऐसे उपकरणों के कब्जे से, चाहे प्रयोग में हो अथवा बंद हो को अनुचित साधन के प्रयोग के रूप में माना जाएगा। ऐसे गजट के पाने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। वे आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत सहित आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
23.	इस परीक्षा के लिए केवल ऑनलाईन आवेदनों को स्वीकारा जाएगा। ऑनलाईन आवेदन की सुविधा 21.01.2019 से 20.02.2019 तक (सायं 5:00 बजे तक) उपलब्ध रहेगी। तथापि जो अभ्यर्थी एसबीआई चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे दिनांक 22.02.2019 तक बैंक से कार्यालय समय के भीतर एसबीआई की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते उनके द्वारा प्रदत्त चालान 20.02.2019 को सायं 5:00 बजे से पहले बनवाया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थियों को दी गई ऑनलाईन पंजीकृत आईडी तथा शुल्क के भुगतान की विस्तृत जानकारियों को केओसुब के साथ आगे पत्राचार के लिए रखना चाहिए। उन्हें केओसुब में अपने आवेदन का प्रिंट आउट जमा नहीं कराना है।
24.	ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के सफल समापन के संबंध में अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पावती भेजी जाएगी।
25.	पीएसटी, दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, और विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर केओसुब की वेबसाइट से अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केओसुब की वेबसाइट अर्थात् <a href="https://cisfrectt.in">https://cisfrectt.in</a> से डाउनलोड करने की आवश्यकता है। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।
26.	आवेदकों को आवेदन भरने संबंधी किसी भी जानकारी तथा पीएसटी, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और चिकित्सीय जांच इत्यादि करने के संबंध में हेल्पलाइन नं. 011-24366431 / 24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।
27.	अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम अपनी दसवीं के प्रमाण पत्रों में दिए अनुसार अवश्य लिखें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी, दस्तावेज जांच अथवा जब कभी केओसुब के नोटिस में आएगा तो सिर से खारिज कर दी जाएगी।
28.	अपूर्ण हस्ताक्षर और धुंधले फोटो के साथ आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
29.	एक बार जमा होने के बाद आवेदन में विशेष रूप से कोई बदलाव/सुधार के लिए निवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
30.	अभ्यर्थियों को अपने साथ परीक्षा केन्द्र पर मूल रूप में कम से कम एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड लेकर आना होगा जिसे उन्होंने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान उल्लिखित किया है, ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
31.	विभाग के पास बगैर कोई कारण बताए विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने अथवा इसे निरस्त करने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा यहां पर उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बदल सकती हैं।
32.	अभ्यर्थियों को भर्ती केन्द्र पर 3-4 दिनों तक रुकने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था के तहत तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और रुकने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
33.	केओसुब अथवा भारत सरकार भर्ती प्रक्रिया/परीक्षण के दौरान उनकी किसी चोट/दुर्घटना अथवा चिकित्सीय समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
34.	परीक्षा के विविध चरणों में अभ्यर्थियों का प्रवेश नितांत अनंतिम होगा बशर्ते वह निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करते हों। भर्ती प्रक्रिया के अंत में चिकित्सा परीक्षा देने से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती चूंकि नियुक्ति का ऑफर अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम से मेरिट से प्रत्येक श्रेणी से केवल आबंटित रिक्तियों से किया जाएगा।
35.	किसी भी तरीके से पैरवी अथवा बाहरी माध्यम से प्रभावित करवाने का प्रयत्न अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से बगैर कोई चेतावनी दिए स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
36.	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा मापदंड (एलडीसीई) उपरोक्त पैरा 4 (घ) के अनुसार सीधे अभ्यर्थियों के



		जैसा ही होगा।
37.		पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने, चयन के तरीके, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, दक्षता परीक्षा का तरीका/प्रक्रिया चिकित्सीय परीक्षण आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
38.		<b>हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में कोई अन्य प्रमाण-पत्र अनुवाद ( हिंदी और अंग्रेजी ) के साथ विधिवत रूप से सत्यापित करके संलग्न करें, अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।</b>
39.		अभ्यर्थी के चयन/नियुक्ति के बाद उनकी किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।
40.		दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के समय किसी कमी के पता न लगने पर जब बाद में उस कमी का पता लगने पर उस स्थिति में उस अभ्यर्थी को उस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भर्ती के बाद के स्तरों पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस विषय के संबंध में किसी अपील अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
41.		<b>महानिदेशक, केओसुब के पास बगैर कोई कारण दिए भर्ती में परिवर्तन करने अथवा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार है।</b>
42.		भर्ती के विभिन्न चरणों में सफल होना तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग चिकित्सा जांच या इसके बाद ऐसी पूछताछ जिसे आवश्यक समझा जाए, से संतुष्ट न हो जिससे कि अभ्यर्थी को सेवा/पद में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है।
43.		अभ्यर्थी को भर्ती के सभी चरणों में भाग लेना वांछित है जिसके लिए वे योग्य पाये गये हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण/इवेंट में अनुपस्थित पाया जाता है जिसके लिए उसने उत्तीर्ण किया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
44.		चयनित अभ्यर्थियों को केओसुब आरटीसी में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसके लिए उनको नियुक्ति पत्र के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। उनको दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि उनको परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
45.		अभ्यर्थियों का अपना व्यक्तिगत एवं वैध ई-मेल आई डी जरूरी है। उनको अपना मोबाइल नं. रखने की भी सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में दिए गए मोबाइल नम्बर तथा ई मेल आईडी को संभाल कर रखें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना एसएमएस अथवा ई मेल के माध्यम से दी जा सकती है।
46.		इस भर्ती के संबंध में नियमित ताजा जानकारी के लिए कृपया <a href="https://cisfrectt.in">https://cisfrectt.in</a> पर जाएं।
47.		केओसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और अच्छे उम्मीदवारों को भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए उम्मीदवारों को "दलालों से सावधान" रहने की सलाह दी जाती है।

## आवेदन पत्रों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया

**टिप्पणी :-** ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सुविधा 21.01.2019 से 20.02.2019 (सायं 500 बजे तक) उपलब्ध होगी। तथापि, वे उम्मीदवार जो एसबीआई चालन के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे एसबीआई की नामित शाखाओं में बैंक के कार्य के घंटों में 22.02.2019 तक भुगतान कर दें बर्षते उनके द्वारा चालान 20.02.2019 को सायं 5.00 बजे तक जनरेट कर दिया गया हो।

ऑनलाइन आवेदनों को वेबसाइट <https://cisfrectt.in> पर प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रविष्टि को भरने अथवा विकल्पों का चयन करने से पहले इस सूचना में दिए गए दिशा निर्देशों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रपत्र भरते समय सभी अपेक्षित विवरणों को भरना चाहिए। आवश्यक खानों को 'एस्टरिक' के निषान से दर्शाया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिखित दो भाग हैं:-

### प्रथम चरण – एक बार पंजीकरण

एक बार का पंजीकरण अभ्यर्थी के लिए एक स्थायी डाटाबेस होगा। अभ्यर्थी द्वारा विषिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड को केओसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।

प्रथम बार पंजीकरण कैसे करें :-

(i)	केओसुब की सरकारी वेबसाइट <a href="https://cisfrectt.in">https://cisfrectt.in</a> पर लॉगइन करें।
(ii)	होम पेज सामने आएगा। रजिस्टर/लागिन बटन पर क्लिक करें।
(iii)	एक नया पेज सामने आएगा।
(iv)	यदि आप एक नए प्रयोगकर्ता हैं तो 'रजिस्टर' टैब पर क्लिक करें और पंजीकरण संबंधी विवरण अर्थात् (1) अभ्यर्थी का नाम (2) पिता का नाम (3) अभ्यर्थी का जन्म तिथि (4) अभ्यर्थी का लिंग और सत्यापन टैक्सट को भरें।
(v)	आगे बढ़ने के लिए 'सबमिट' को क्लिक करें अथवा पंजीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए 'क्लोज' बटन दबाएं।
(vi)	यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो आपको पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
(vii)	'व्यक्तिगत विवरण' 'मूल विवरण' और 'संपर्क' संबंधी विवरणों को भरें।  चेतावनी :- अभ्यर्थियों को सभी निविष्टि बक्सों को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक बार सभी संबंधित खानों को भर लिए जाने के पश्चात् जिसे उपरोक्त तीनों खानों में सावधानी से भरना चाहिए। वह 'सबमिट' बटन पर क्लिक कर सकता है। 'सबमिट' बटन क्लिक करते समय, अब तक प्रविष्ट किए गए डाटा/विवरण सर्वर में सुरक्षित हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी 'क्लोज' बटन पर क्लिक करता है, तो डाटा/विवरण सुरक्षित नहीं रह पाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर जा सकता है।
(viii)	सभी अपेक्षित खानों में प्रविष्टि भरें और फिर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
(ix)	पंजीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपको एक अनंतिम पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा ताकि आप अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकें।
(x)	आप अपनी सुविधा के हिसाब से बाद की दिनांक/समय पर नए पंजीकरण के तहत दिखाए जाने वाले 'व्यू/एडिट' रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हुए अपने अनंतिम आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं।  टिप्पणी :- अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि उनके द्वारा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार है :-  ➤ फोटोग्राफ फाईल का डिजिटल साईज 100 पिकसल चौड़ाई तथा 140 पिकसल लंबाई के रेज्यूलेशन में 12 केबी से कम और 4 केबी से अधिक होना चाहिए। ➤ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को भी जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें। हस्ताक्षर फाईल का डिजिटल साईज 40 पिकसल चौड़ाई तथा 60 पिकसल लंबाई के रेज्यूलेशन में 12 केबी से कम और 1 केबी से अधिक होना चाहिए।

चरण-2 आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया (आवेदन भाग) :-

(i)	पंजीकृत अभ्यर्थी सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
(ii)	'अप्लाई पार्ट' का अनुसरण करें जिसे होम पेज पर उल्लिखित किया गया है।
(iii)	'पंजीकरण सं.' 'पासवर्ड' जैसे आवश्यक विवरणों को भरें और सबमिट 'बटन' पर क्लिक करें।
(iv)	विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन प्रपत्र होगा। अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया के समय भरे गए डाटा/विवरण स्वतः आवेदन प्रपत्र में संबंधित खानों में भरे जाएंगे। पेश बचे हुए खाली खानों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरणों को बहुत ध्यान से भरें।
(v)	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पूरा भरे जाने के पश्चात्, उसे नीचे दो बटन नामतः 'सबमिट' और 'क्लोज' नजर आएंगे। यदि अभ्यर्थी 'क्लोज' बटन चुनता है तो वह आवेदन प्रपत्र से बाहर आ जाएगा। कोई डाटा/ विवरण सुरक्षित नहीं होगा।
(vi)	अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन प्रपत्र पूरा भरे जाने के पश्चात्, अभ्यर्थी को 'सबमिट' बटन दबाना चाहिए जिससे उसके द्वारा भरे गए सारे डाटा/विवरण सुरक्षित हो जाएंगे और 'भुगतान' विंडो आएगी। कार्मिक जिन्हें परीक्षा-शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है वे स्वतः ही इस विंडो से बाहर हो जाएंगे और वे 'प्रिन्ट' विकल्प पर जाएंगे।
(vii)	भुगतान का तरीका विकल्प का चयन करते हुए एसबीआई चालन अथवा किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग / क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो उसे सर्वर से शुल्क जमा चालान प्रपत्र प्राप्त होगा। चालान प्रपत्र प्राप्त के पश्चात्, अभ्यर्थी को नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा जाना चाहिए और शुल्क का भुगतान करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेंगे और इसे कैंसुब को भेज देंगे। इस प्रक्रिया के न्यूनतम 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटों के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन प्रपत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
(viii)	भुगतान प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् आवेदक भरे हुए अपने आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें पीएसटी के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी' ..... पुत्र/पुत्री' श्री ..... गाँव/नगर' ..... जो जिला/खंड'.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र' .....जाति/जनजाति' से सम्बंधित है, की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति' के रूप में की गई है।

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 /

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 /

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951 /

संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 /

(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियों (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)

संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 /

संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 /

संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 /

संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 /

संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 /

संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 /

संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 /

संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 /

संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 /

संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 /

संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 /

संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 /

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990 /

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991 /

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991 /

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 /

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002 /

संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002 /

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002 /

2. एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रवास कर गए अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर लागू।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' .....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ..... गाँव/नगर'.....जिला/खंड' .....राज्य/संघशासित क्षेत्र' .....जो .....जाति/जनजाति' से संबंधित हों जिसे राज्य/संघशासित क्षेत्र'.....द्वारा जारी किए गए .....(उपरोक्त जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .....दिनांक .....को जारी किया गया।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी' ..... और/अथवा/उसका/उसके' परिवार वास्तविक रूप से गाँव/नगर'.....जिला/खंड'.....राज्य/संघशासित क्षेत्र' .....में रहते हैं।

हस्ताक्षर.....

राज्य/संघीय क्षेत्र'

"पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक .....

\* जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

/कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें।

: उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिब का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।

1. जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)
2. मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते हैं।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

## अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी'..... पुत्र/पुत्री' श्री ..... गांव/नगर'..... जिला/प्रभाग'..... में राज्य/संघशासित क्षेत्र'.....के .....जाति से संबंधित है जिसकी निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई है :

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93-बी सी सी (सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 186दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94-बी सी सी दिनांक 19/10/1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95-बी सी सी दिनांक 24 मई 1995 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 88दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/96/94-बी सी सी दिनांक 09 मार्च ,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 60दिनांक 11.03.1996 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/44/96-बी सी सी दिनांक 06 दिसम्बर,1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 दिनांक 11.12.1996 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/13/97-बी सी सी दिनांक 03/12/1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 239 दिनांक 17/12/ 1997 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या12011/99/94-बी सी सी दिनांक 11.12.1997 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 236 दिनांक 12.12.1997 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/98-बी सी सी दिनांक 27 अक्टूबर,1999 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 241 दिनांक 27/10/ 1999 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/88/98- दिनांक 06.12.99 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 270 दिनांक 06.12. 1999 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/36/99 बीसीसी दिनांक 04.04.2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 71 दिनांक 04.04.2000 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/99 बीसीसी दिनांक 21 सितम्बर 2000 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 210 दिनांक 21 सितम्बर 2000 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/96 बीसीसी दिनांक 06 सितम्बर 2001 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 246 दिनांक 06 सितम्बर 2001 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/1/2001- बीसीसी दिनांक 19 जून 2003 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 151 दिनांक 20 जून 2003 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/4/2002- बीसीसी दिनांक 13 जनवरी 2004 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 9 दिनांक 13 जनवरी 2004में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/2004- बीसीसी दिनांक 16 जनवरी 2006 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 10 दिनांक 16 जनवरी 2006 में प्रकाशित।

/भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/14/2004- बीसीसी दिनांक 12 मार्च 2007 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 संख्या 67 दिनांक 12 मार्च 2007 में प्रकाशित।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी'.....और/या 'उसका/उसकी' परिवार सामान्य रूप से.....गांव/नगर..... जिला/खंड'.....राज्य/संघशासित क्षेत्र'.....जो.....निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस सी टी) दिनांक 8/09/93, के कॉलम 3, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-प्रशासन (आरईएस) दिनांक 9/03/2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) दिनांक 14/10/2008, में उल्लिखित (क्रीमीलेयर) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....  
पद का नाम.....  
(कार्यालय मुहर के साथ)

'(जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं )

टिप्पणी : यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्य रूप से निवासकर्ता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

"अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के समान होगी।

/जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं।

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .....सुपुत्र/सुपुत्री, श्री .....गांव के .....  
..... तहसील/तालुका.....जिला..... राज्य..... के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और छाती माप में छूट प्राप्त करने के लिए(गढ़वाली, कुमाऊंजी, गोरखा, डोगरा, मराठा) उपरोक्त उल्लिखित संपूर्ण क्षेत्र के निवासियों पर विचार किया जाएगा।
- ❖ वह सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों से संबंध रखता है और उस पर भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और छाती माप में छूटपर विचार किया जाएगा।
- ❖ वह .....ट्राईबल समुदाय से संबंध रखता है और उस पर भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और छाती माप में छूटपर विचार किया जाएगा।

स्थान :.....

हस्ताक्षर .....

दिनांक:.....

मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

- ❖ ‘जो लागू न हो उन्हें काट दें।’

केओसुब कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....को केओसुब में .....पद के लिए आवेदन करने पर इस विभाग/कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... को कोई दंड (बड़ा/छोटा) अब तक नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में पूरी सेवा के दौरान उनका कार्यनिष्पादन ‘औसत’ से उपर रहा है।

हस्ताक्षर.....

.....  
कार्यालयध्यक्ष/नियंत्रणअधिकारी/  
इकाई कमांडर का नाम और पदनाम

दिनांक:.....

भूतपूर्व सैनिक कोटे के अधीन सिविल पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रपत्र

मैं समझता हूँ कि यदि भर्ती/परीक्षा जिसके बारे में मैंने आवेदन किया के आधार पर मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष ऐसे संतुष्टीपरक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर होगी कि समय-समय पर संशोधित पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा तथा पदों पर पुनर्नियोजन) नियम 1979 में दी गई शर्तों के अनुसार मुझे सशस्त्र बल से विधिवत छोड़ दिया गया है/सेवामुक्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं पूर्व सैनिकों को दिये जाने वाले हितलाभ के लिए पात्र हूँ।

2. मैं यह भी समझता हूँ कि मैं इस परीक्षा द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पात्र नहीं रहूँगा यदि मैंने इस नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय सिविल सेवा (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि शामिल हैं) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर इस छूट का प्रयोग करके कोई नियोजन प्राप्त किया हो।

स्थान .....  
दिनांक .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

नाम :.....

भूतपूर्व सैनिक कोटे के अधीन आवेदन कर रहे सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

मैं, एतद्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....संख्या.  
.....पदनाम.....नियुक्ति की निर्धारित अविधि को ..... पूरा कर  
लेगे।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

नियंत्रक अधिकारी :.....

कार्यालय मुहर.....

सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार का कार्यालय.....

फोटो

**जम्मू और कश्मीर राज्य में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी, श्री.....  
.....पूर्व में ग्राम.....तहसील.....जिला.....अविभाजित  
भारत (अब पाकिस्तान), मकान संख्या.....गली/लेन.....मोहल्ला.....गांव.....  
.....तहसील.....जिला....., 1947 के भारत-पाक विवाद के दौरान पाकिस्तान से  
अप्रवजन के पश्चात अब एक पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी हैं।

सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार



चिकित्सीय योग्यता के लिए प्रपत्र

द्वारा,

नाम.....  
अनुक्रमांक.....

सेवा में,

.....  
.....  
.....**विषय : वर्ष 2018 में केओसुब में प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती के लिए चिकित्सीय योग्यता के लिए अपील।**

महोदय,

मेरा, केओसुब द्वारा संचालित, वर्ष 2018 के लिए प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती के लिए .....को .....(केन्द्र) पर चिकित्सीय रूप से निरीक्षण किया गया जिसमें मुझे निम्न की वजह से, चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

2. मैंने मैडिकल प्रेक्टिशनर (डॉ).....से स्वयं की चिकित्सीय जांच करवाई है जिन्होंने मुझे उपरोक्त पद के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य पाया है। मैं उपरोक्त डॉक्टर से, जिन्होंने मुझे चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किया है, निर्धारित प्रमाण पत्र को संलग्न कर रहा हूँ। मैं केओसुब के चिकित्सा बोर्ड द्वारा मेरी चिकित्सा परीक्षा की पुनरीक्षा के लिए 25/-रुपए का डिमांड ड्रॉफ्ट भी संलग्न कर रहा हूँ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि जांच सूची के अनुसार सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दिया गया है।

4. मैं, इसलिए वर्ष 2018 के लिए केओसुब में प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती के लिए मेरे चिकित्सीय परीक्षण की पुनरीक्षा का अनुरोध करता हूँ।

**जांच सूची :**

- i) मैडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट –‘झ’)। अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।
- ii) .....के पक्ष में रूपए 25/- का डिमांड ड्रॉफ्ट. (निरस्त पत्रों में यथा उल्लिखित पता जिसमें चिकित्सीय अयोग्यता के बारे में बताया गया था) इसमें यथा उल्लिखित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर देय ड्राफ्ट को निरस्त कर दिया जाएगा।
- iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 26 रूपए की स्टॉम्प लगाए, यदि वे चाहते हैं कि उन्हें चिकित्सा परीक्षण की पुनरीक्षा के लिए बुलावा-पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाए। विभाग डाक में देरी की वजह को स्वीकार नहीं करेगा।
- iv) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (अयोग्य) रिपोर्ट की प्रति।

भवदीय

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
अनुक्रमांक.....  
पता.....  
.....

चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आयु.....वर्ष जो कि वर्ष.....के लिए केओसुब में प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती के लिए अभ्यर्थी है, की जांच मेरे द्वारा .....अस्पताल में दिनांक.....को की गई।

2. मैं अधोहस्ताक्षरी को यह जानकारी है कि श्री/सुश्री.....को निम्न कारणों से वर्ष .....के लिए केओसुब में प्रधान आरक्षक/अनुसचिवीय की भर्ती के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से आयोग्य घोषित किया गया है :-

---

मेरी दृष्टि में यह निर्णय निम्नलिखित कारणों से गलत है :-

---

3. उचित परीक्षण के पश्चात, मैं उसे उपरोक्त पद के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित करता हूँ।

मेडिकल प्रैक्टिशनर की मुहर  
सहित हस्ताक्षर और नाम  
पंजीकरण संख्या .....  
(एमसीआई/राज्य चिकि. परिषद)  
पता.....  
.....

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सत्यापित  
हस्ताक्षर और मुहर

**टिप्पणी :** मेडिकल प्रैक्टिशनर की जांच, जहां भी लागू हो, मेडिकल रिपोर्ट्स/दस्तावेजों के साथ होनी चाहिए ।